

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित																				
1	2	3																				
<p><u>12.5.16</u></p>	<p align="center"><u>न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया</u></p> <p align="center">नामान्तरण पुनरीक्षण वाद सं०- 09/2011-12 91/2014-15</p> <p align="center">दुर्गानन्द मंडल एवं अन्य - पुनरीक्षणकर्ता बनाम रामेश्वर मंडल एवं अन्य - उत्तरवादी</p> <p align="center">आदेश</p> <p>प्रस्तुत नामान्तरण पुनरीक्षण वाद आवेदक दुर्गानन्द मंडल, पिता-भोला मंडल एवं अन्य, सा०-भागकोहलिया, थाना-फारबिसगंज, जिला-अररिया की ओर से नामान्तरण अपील वाद सं० 05/2011-12 में विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्ता, फारबिसगंज के पारित आदेश दिनांक 22.07.2011 के विरुद्ध समाहर्ता, अररिया के न्यायालय में दिनांक 05.08.2011/28.08.2011 को दाखिल किया गया। जिसे समाहर्ता, अररिया द्वारा इसे दिनांक 08.09.2011 को विचारार्थ स्वीकृत करते हुए दिनांक 23.05.2014 को विधिवत निष्पादन हेतु इस न्यायालय को हस्तांतरित किया गया।</p> <p align="center">वादग्रस्त भूमि का विवरण</p> <table border="1" data-bbox="347 1086 1337 1393"> <thead> <tr> <th>भौजा</th> <th>खाता</th> <th>खेसरा</th> <th>रकबा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">भाग कोहलिया अंचल-फारबिसगंज</td> <td rowspan="5">35/467</td> <td>1589</td> <td>0.10.050 डी०</td> </tr> <tr> <td>1590</td> <td>0.02.400 डी०</td> </tr> <tr> <td>1591</td> <td>0.03.000 डी०</td> </tr> <tr> <td>1592</td> <td>0.06.000 डी०</td> </tr> <tr> <td>1593</td> <td>0.04.200 डी०</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>कुल 25.650 डी०</td> </tr> </tbody> </table> <p>उभय पक्षों की ओर से प्रतिउत्तर दाखिल होने के पश्चात् उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया।</p> <p>प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि वादग्रस्त भूमि बजरिये निबंधित दस्तावेज दिनांक 05.01.1959 द्वारा मिनतलाल मंडल को प्राप्त थी। जो आवेदक सं० 1, दुर्गानन्द मंडल एवं 2, गिरजानन्द मंडल के दांदा है तथा आवेदक सं० 3, भोला मंडल एवं विपक्षी प्रथम पक्ष, रामेश्वर मंडल के पिता है। मिनतलाल मंडल की मृत्यु के पश्चात् उनके दो पुत्र भोला मंडल एवं रामेश्वर मंडल तथा तीन पुत्री तारामनी, जहरी एवं फुलकुमारी देवी उत्तराधिकारी हुईं और इन सभी को उत्तराधिकार में ब हिस्सा बारबर भूमि प्राप्त हुई। जिसमें से तीनों पुत्री द्वारा अपने हिस्से की वाद भूमि को आवेदक सं० 1 एवं 2 को दिनांक 21.06.2007 एवं 12.07.2007 को निबंधित दस्तावेज द्वारा बिक्री कर दी। जिसके आधार पर उक्त दोनों क्रेता द्वारा अंचल कार्यालय से नामान्तरण वाद सं० 1020/2007-08 द्वारा दाखिल-खारिज करा लिया गया। उक्त नामान्तरण वाद में विपक्षी सं० 1, रामेश्वर मंडल की ओर से आपत्ति आवेदन भी दाखिल किया गया था,</p>	भौजा	खाता	खेसरा	रकबा	भाग कोहलिया अंचल-फारबिसगंज	35/467	1589	0.10.050 डी०	1590	0.02.400 डी०	1591	0.03.000 डी०	1592	0.06.000 डी०	1593	0.04.200 डी०				कुल 25.650 डी०	
भौजा	खाता	खेसरा	रकबा																			
भाग कोहलिया अंचल-फारबिसगंज	35/467	1589	0.10.050 डी०																			
		1590	0.02.400 डी०																			
		1591	0.03.000 डी०																			
		1592	0.06.000 डी०																			
		1593	0.04.200 डी०																			
			कुल 25.650 डी०																			


अतएव ऐसी परिस्थिति में स्वत्व वाद के विनिश्चय होने तक इस नामान्तरण पुनरीक्षण वाद को स्थगित किया जाता है।

पारित आदेश की प्रति एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता, फारबिसगंज एवं अंचलाधिकारी, फारबिसगंज को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजे।
लेखापित एवं संसोधित

ह. -
अपर समाहर्ता
अररिया

ह. -
अपर समाहर्ता
अररिया

ज्ञापांक 70 / रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 12 / 05 / 2016
प्रतिलिपि : भूमि सुधार उप समाहर्ता, फारबिसगंज को निम्न न्यायालय का नामान्तरण अपील वाद सं0 05/2010-11 मूल के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, फारबिसगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


अपर समाहर्ता
अररिया